संख्या : 118/2019/2197/छप्पन-2019-47/2015

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 दिसम्बर, 2019

विषय: राजकीय वायुयान Hawker 900XP VT-UPM में M/S. Collins Aerospace. USA द्वारा जारी STC को Comply करके वायुयान को ADS-B Out System Equipped करने हेतु आवश्यक Components/parts क्रय करने के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-513/CADUP/ENG/PUR/B-7/2019, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके संदर्भगत पत्र में किए गए प्रस्ताव के क्रम में श्री राज्यपाल राजकीय वायुयान Hawker 900XP VT-UPM को ADS-B Out System को upgrade/modification करने के लिए वायुयान के Avionics System निर्माता कम्पनी M/S. Collins Aerospace. USA के लिए अधिकृत भारतीय डीलर मै0 एयर वर्क्स इण्डिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई से क्रय करने के लिए जी0एस0टी0 18 प्रतिशत को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 79,65,000/- (रूपए उन्यासी लाख पैंसठ हजार मात्र) व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 79,65,000/- (रूपए उन्यासी लाख पैंसठ हजार मात्र) के व्यय किए जाने की निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 79,65,000/- का 90 प्रतिशत रू0 71,68,500/- (रूपए इकहत्तर लाख अड़सठ हजार पॉच सौ मात्र) का अग्रिम भुगतान तथा शेष 10 प्रतिशत रू0 7,96,500/- (रूपए सात लाख छियानबे हजार पॉच सौ मात्र) का भुगतान कार्योपरान्त कार्य संतोषजनक पाए जाने के बाद फर्म को किया जाएगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात् अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जाएगी। आहरण/समायोजन में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/ क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का कार्यादेश निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-988(1)/दस-2019 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

पृ0सं0 : 118/2019/2197 (1)/छप्पन-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।